

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(WATER/PHED)2020 / एफसीए / प्रमुवसं. / 881

दिनांक 10.8.21

निमित्त:

शासन सचिव,  
वन विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

विषय:—Diversion of 0.2652 ha. of forest land in foavour of PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT CITY DIVISION BHARATPUR for Replacement of old pipe line by DI Pipe Line Malah Headworks to Sewar Fort and Sewar Fort to DEPOT Area, Kanjoli Lines At AMN DEPOT Bharatpur Distt.-Bharatpur (Rajasthan)  
(प्रस्ताव संख्या FP/RJ/WATER/43853/2020)

संदर्भ:—आपका पत्रांक प. 1(138)वन / 2020 दिनांक 17.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में चाही गई सूचना मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर के पत्रांक 1464 दिनांक 07.03.2021 (प्रति संलग्न) से प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार है:—

1. "इस प्रोजेक्ट को Environmental Clearance की आवश्यकता नहीं है और यह पाईप लाईन प्रोजेक्ट केवल ईको सेंसेटिव जोन में से होकर गुजर रही है, इसलिए Wildlife Clearance की भी आवश्यकता नहीं है।"
2. ईको सेंसेटिव जोन में आने वाली गतिविधियां जिला स्तरीय समिति द्वारा ही Regulated की जाती हैं इनमें Wildlife Clearance की आवश्यकता नहीं होती है एवं केवल वे प्रोजेक्ट जिनको Environmental Clearance की आवश्यकता होती है और ऐसे प्रोजेक्ट अगर ईको सेंसेटिव में आये तभी उनको Wildlife Clearance चाहिये होती हैं।

अतः प्राप्त सूचना इस कार्यालय की सहमति के साथ अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:— उक्तानुसार।

भवदीय,

( वेंकटेश शर्मा )

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ. 14(WATER/PHED)2020 / एफसीए / प्रमुवसं. / दिनांक  
प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
2. उप वन संरक्षक, भरतपुर।
3. Executive Engineer, Public Health Engineering Department City Division Bharatpur.

( भवानी सिंह )

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर